(ग) भविष्य में लौह अयस्क के निर्यात व्यापार में घाटे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 1967-68 के वित्तीय वर्ष के दौरान जापान को सप्लाई की गई लौह-अयस्क पर लगभग 141 लाख रुपये की हानि हुई थी और न कि 5 करोड़ रुपये की।

(ख) किरीबुर और बैलाडिला लौह-अयस्क खानों के उत्पादन का खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जापानी इस्पात संयंत्रों के साथ तय किये गये मूल्यों पर जापान को निर्यात किया जाता है। बिक्रियों से मिलने वाली एफ. ओ. बी. टी. प्राप्तियां खर्चे की निम्नलिखित मदों को पूरा करने में उपयोग में लाई जाती हैं :—

एफ. ओ. बी. टी. बिक्रियों की प्राप्तियों की औसत प्रतिशतता

1. निर्यात शुल्क	14.6
2. पत्तन प्रभार	14.4
3. रेल भाड़ा	48·7
4. खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कमीशन	1·4
5. राज्य सरकार को दिया जाने वाला स्वामिस्व तथा श्रम कल्याण उपकर	3.2
6. सरकारी ऋण, यैन ऋण और कार्यचालन पूंजी परव्याज	3.6
7. मूल्यह्रास	6.8
8. खान परिचालन लागत	12.5
जोड़ :—	105.2

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जायेगा, उपरोक्त 1 से 5 तक की मदों का व्यय एफ. ओ. बी. टी. बिक्रियों की कुल प्राप्ति में से चुकाने के उपरान्त, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास परिचालन लागत और मूल्यह्रास व्यवस्था की पूर्ति के लिये केवल अवशिष्ट राशि बचती है; यहां तक कि विभिन्न प्रभारों की अदायगियां कर देने के पश्चात् राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास परिचालन लागत और मूल्यह्रास, जो वास्तव में 19.3 प्रतिशत होते हैं, की पूर्ति के लिये एफ. ओ. बी. टी. बिक्रियों की प्राप्ति का केवल 14.1 प्रतिशत भाग बचता है। 5.2 प्रतिशत का यह घाटा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लेखों में मीमांसात्मक घाटे के रूप में दिखाया गया है। तथापि, 10.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से निर्यात शुल्क के उपार्जन के कारण, जो कि कुल 2·36 करोड़ रुपये था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोई हानि नहीं होती।

(ग) व्यापक राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विचार से, 141 लाख रुपये की हानि से अधिक महत्वपूर्ण सरकार को निर्यात शुल्क के रूप में मिले 2.36 करोड़ रुपये और लगभग 10.82 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति है।

अयस्कों के खनन, बन्दरगाहों तक परिवहन और नौ-परिवहन में जो सुधार किये जा रहे हैं उनसे इस हानि में कमी हो जाने की सम्भावना है।

देश में लोहा और इस्पात कारखाने

1072. **श्री लखन लाल गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कितने लोहे और इस्पात के कारखाने हैं और उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) मकान निर्माण के लिये इन कारखानों में किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है ;

(ग) क्या अपने उत्पादित माल की बिक्री के लिए इन कारखानों ने फुटकर दुकानें खोली हुई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के तीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने दुर्गापुर स्थित एक मिश्र-इस्पात का कारखाना तथा भद्रावती स्थित मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स शामिल हैं। वर्तमान विस्तार योजना के अंत में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता-क्रमशः 2. 5, 1.8 और 1.6 मिलियन टन पिण्ड प्रतिवर्ष की होगी। दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता 1,00,000 टन पिण्ड की होगी। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की मिश्र और विशेष इस्पात की क्षमता 77,000 टन की होगी।

(ख) ये कारखाने भवन-निर्माण में काम आने वाला कई प्रकार का सामान तैयार करते हैं जैसे :—संरचनात्मक, छड़ और गोल छड़, जस्ती चादरें, स्कैल्प, गर्म बेलित क्वायल आदि, आदि।

(ग) और (घ) : इन कारखानों में उत्पादन टनों में होता है जहां मितव्ययी उत्पादन के लिए कुछ टन का न्यूनतम उत्पादन और माल की शीघ्र निकासी अपेक्षित है। निर्मित वस्तुओं को थोक में बेचा जाता है। अतः इन कारखानों में कोई फुटकर दुकानें नहीं खोली गई हैं। फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जनता की सेवा और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, जालन्धर, कानपुर, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों में गोदाम रखे हुए हैं।

माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, रायपुर

1073. **श्री लखन लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, रायपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक विभिन्न पदों पर कितने कर्मचारियों की भर्ती की गयी; और

(ख) नये भर्ती किये गये व्यक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) किसी को बाहर से भर्ती नहीं किया गया है क्योंकि अन्य जगहों पर फालतू होने वाले कर्मचारियों को रायपुर के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में समाहित किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Simplification of Licensing Procedure

1074. SHRI M. N. REDDY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a representation has been received from Chief businessmen and industrialists to simplify the existing cumbersome licensing procedures so that they are able to set up more industries in the Private Sector and also step up exports of industrial goods;

(b) whether any action has been taken by Government on the aforesaid representation and if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). In the meeting of the Central Advisery Council of Industries held in New Delhi on 3rd/4th January, 1969, references were made by certain